Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

समकालीन विश्व राजनीति

अध्याय - 4

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भाग - 5

Satyaveer Yadav

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

UNO

01 Jan. 1997

UNSC सुधार — जाँच समिति

- सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में तीन मुख्य शिकायतों का जिक्र था।
- सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमांइदगी नहीं करती।
- इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है।
- सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है।
- बदलाव की इन बढ़ती मांगों के मध्यनजर एक जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराये जाएं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

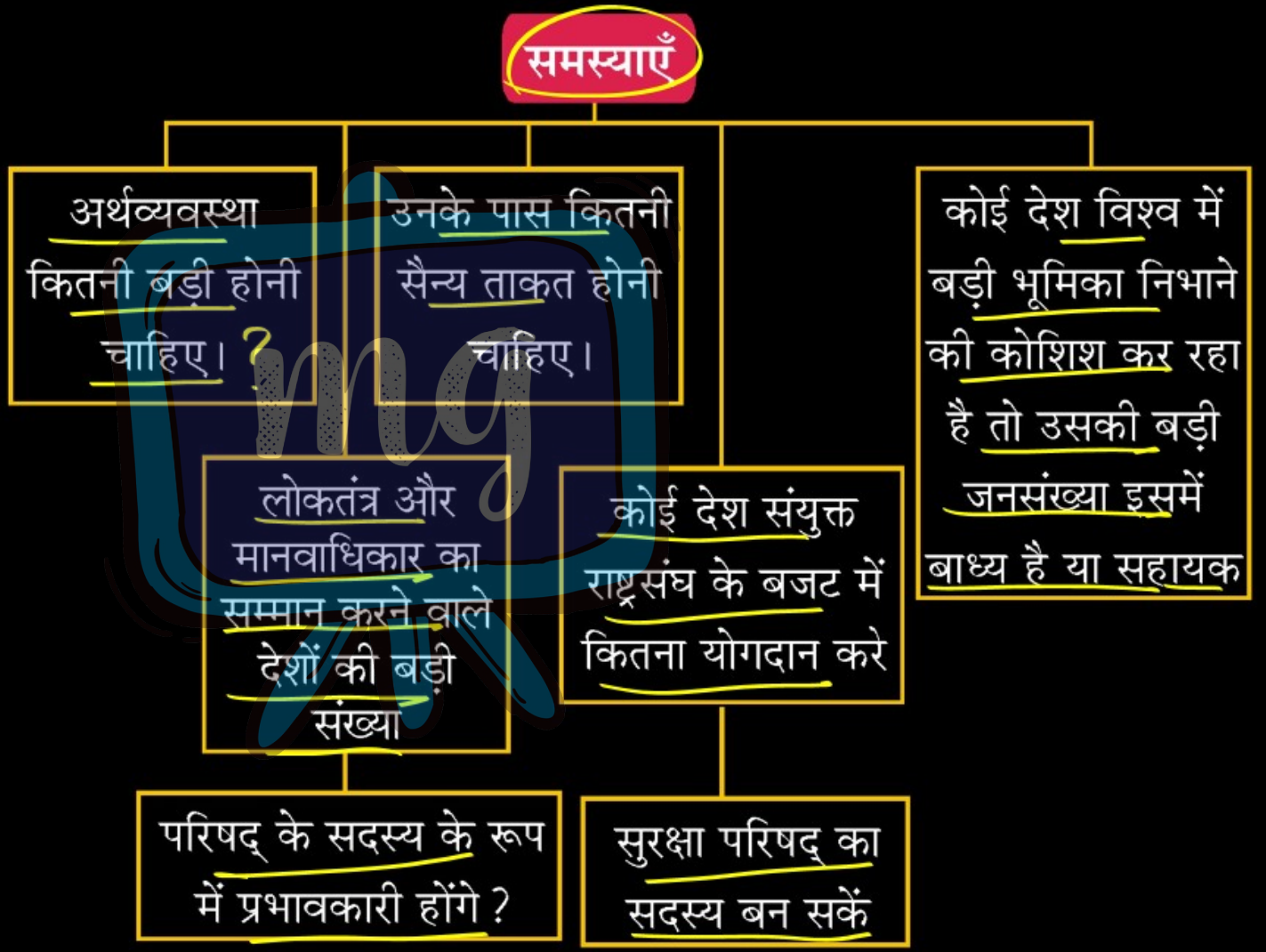
इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद् की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए।

सुझाव आए कि नए सदस्यों को -

- बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए।
- बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो।
- आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो।
- ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो।
- यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमांदगी करता हो।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

सवाल और भी -

- प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाये?
- क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाये?
- प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाये?
- आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला हल क्यों न किया जाये?
- आर्थिक विकास को आधार मानने पर भी कठिनाई-विकासशील देश विकास की अलग-अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं।
- विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाये?

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सदस्यता की प्रकृति बदलने का मसला

- पाँच स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो पावर खत्म होना चाहिए।

लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता

अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं

सुरक्षा परिषद् में फैसला मतदान के जरिए

भले ही बाकी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया हो।

स्थायी सदस्य वीटो पावर से फैसले को रोक सकता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

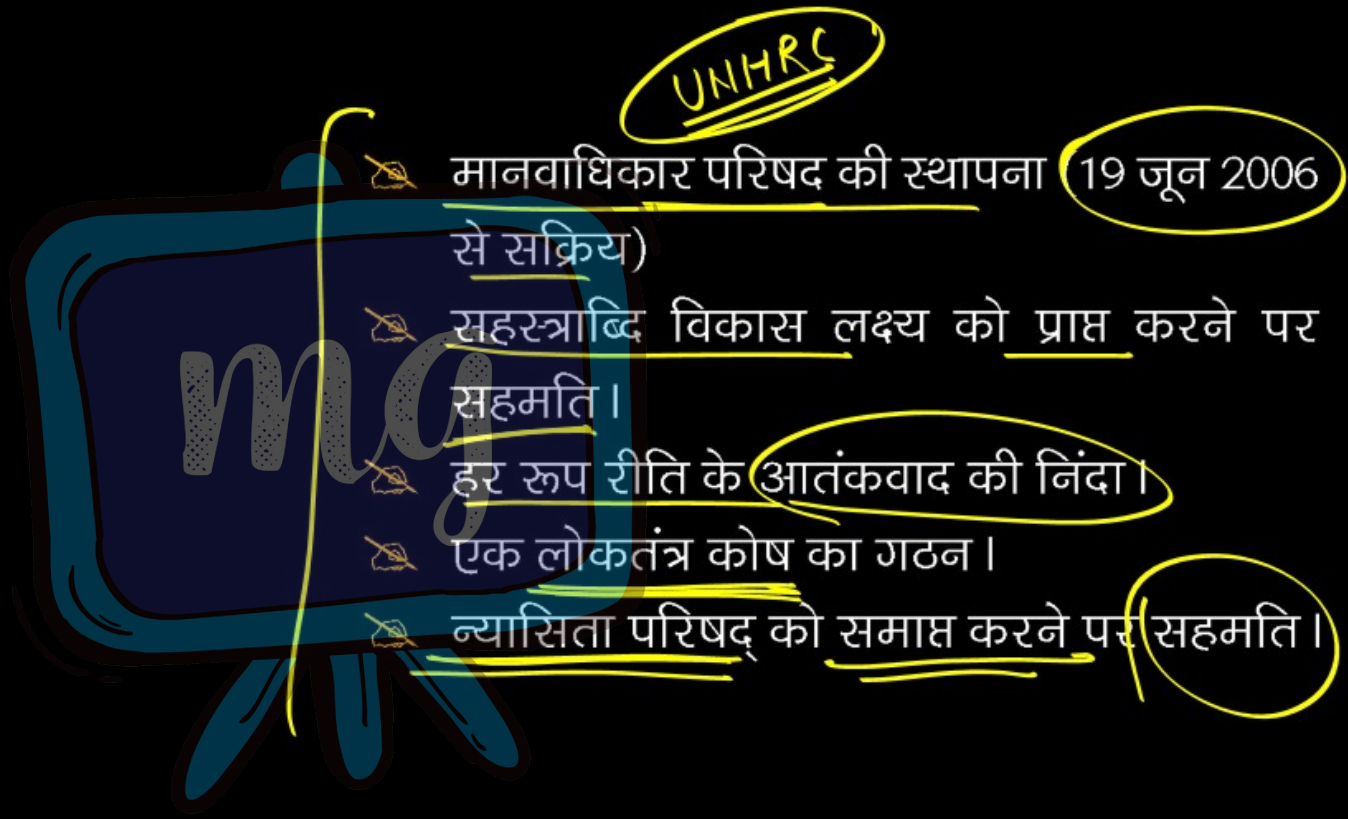
missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार -

- सितम्बर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की सालगिरह पर इसके सभी सदस्य देश इक्ट्ठे हुए।
- इस बैठक में संयुक्त राष्ट्रसंघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया।
- शांति संस्थापक आयोग का गठन।
- यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाये तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व लें - इस बात की स्वीकृति।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत

UNO में भारत की सदस्यता का

स्थापना - 30 oct. 1945

रामास्वामी मुदालियर
V.T. कृष्णामाचारी
फिरोज जान गांधी

भारत के स्थायी प्रतिनिधि

रुचिरा कम्बोज

भारत का समर्थन :-

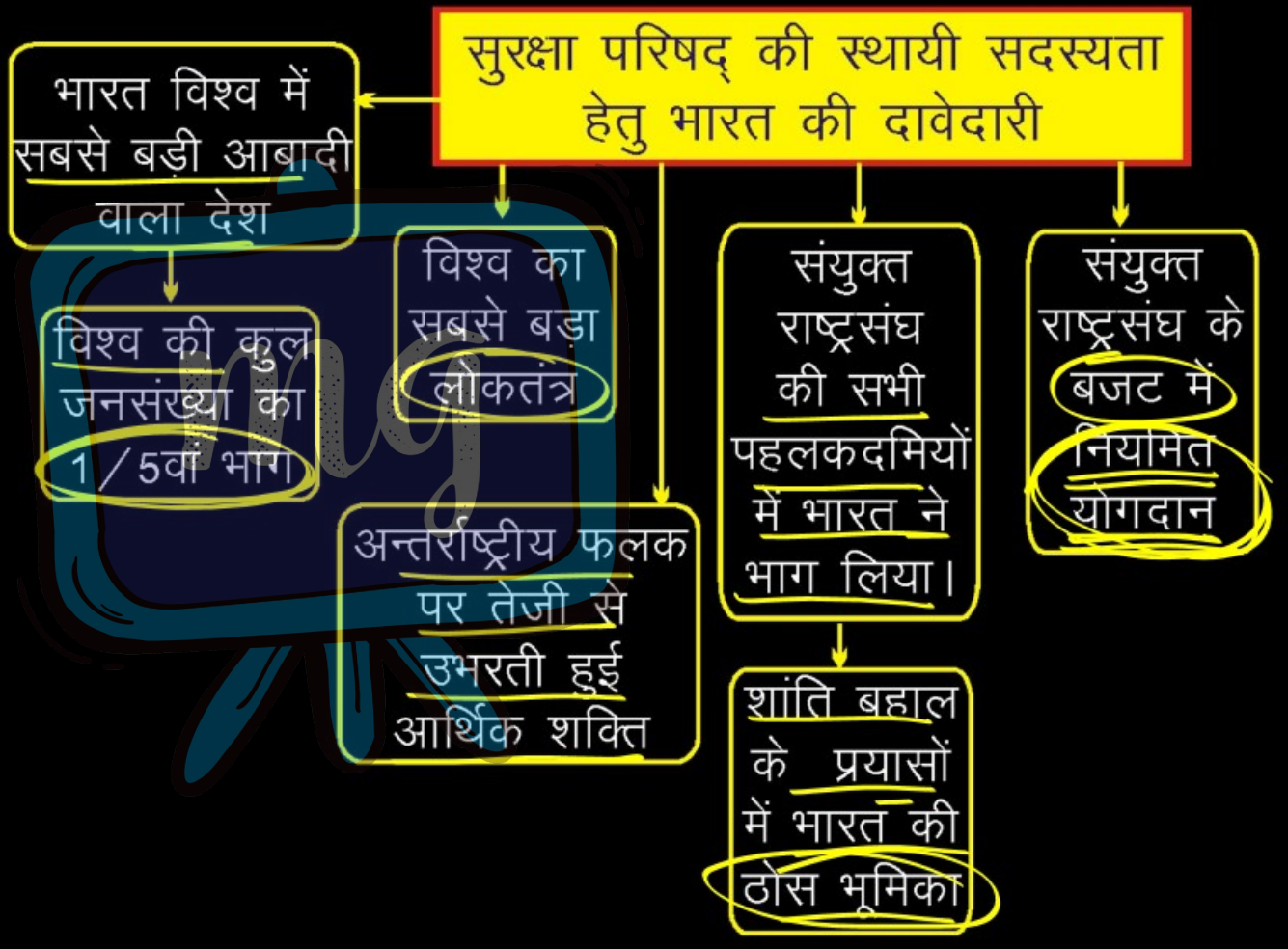
- संयुक्त राष्ट्रसंघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए।
- एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए।
- सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी।

सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या में बढोत्तरी

- परिषद् ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी।
- उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा
- परिषद में ज्यादा विकाशील देश होने चाहिए
- परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए।

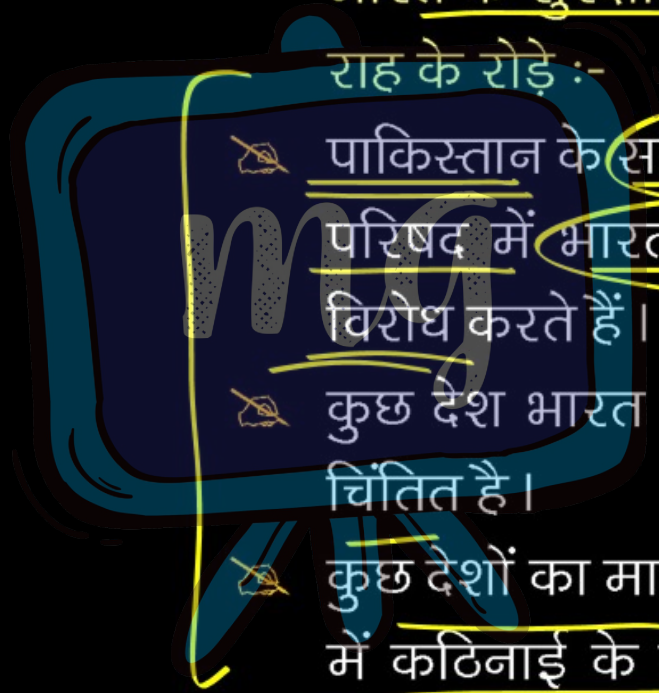
Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



भारत के सुरक्षा-परिषद में स्थायी सदस्यता की राह के रोड़े :-

- पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और देश भी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं।
- कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है।
- कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी होगा।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

G-4

कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिणी अफ्रीका को भी स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल करना पड़ेगा।

कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद् में इन्हीं महादेशों की नुमांइदगी नहीं है।